कार्यालय,

समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सिमडेगा।

आवश्यक सूचना

एतद् सूचित किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम/सिक्ख/ईसाई/जैन एवं फारसी) के लोगों के लिए सिमडेगा जिला अन्तर्गत सिमडेगा प्रखण्ड में नव निर्मित 05 कियोस्क एवं कुरडेग प्रखण्ड में 02 निर्मित कियोस्क का आवंटन करने के लिए सिमडेगा एवं कुरडेग प्रखण्ड के इच्छुक आवेदक Online के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिला कल्याण कार्यालय, पदाधिकारी सिमडेगा के पदनाम में दिनांक 16.08.2019 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ BPL नं0/आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड Online के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा। कियोस्क आवंटन की शर्त्तें निम्नवत् हैः–

1. सिमडेगा प्रखण्ड अन्तर्गत 05 कियोस्क में (अल्पसंख्यक समुदाय के एक महिला तथा एक विकलांग आवेदक के) तथा कुरडेग प्रखण्ड अन्तर्गत 02 कियोस्क में एक महिला को प्राथमिकता के तौर पर आवंटित किया जायेगा।
2. कियोस्क के रख–रखाव के लिए प्रतिमाह 100/(एक सौ) रूपये शुल्क लगेगा जो संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा।
3. जिस आवेदक/आवेदिका का कागजात सही पाया जायेगा उसका चयन जिला स्तरोय गठित समिति के द्वारा लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।

प्रपत्रः–

1	आवेदक/आवेदिका का नाम	....
2	पिता/पति का नाम	....
3	ग्राम	....
4	पो0	....
5	प्रखण्ड	....
6	थाना	....
7	जिला	....
8	जाति का नामः–	....
9	समुदाय का नामः–	....
10	BPL नं0/आय प्रमाण पत्र	....
11	आधार नं0	....
12	रोजगार का नाम	....
13	मोबाईल नं0	....
14	कोटि	महिला दिव्यांग अन्य

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सिमडेगा।